(प्रपत्र–48)

कार्य का नाम :– सौंग बांध पेयजल परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना हेतु नाप भूमि उपयोग किये जाने का प्रमाण पत्र।

उपरोक्त परियोजना निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली नाप भूमि को विभाग द्वारा ग्रामीणों के साथ आपसी सहमति के आधार पर लिया जाता है। जिस हेतु सभी ग्रामवासियों के साथ बैठक कर अनापत्ति प्रमाण भी लिया जाता है। भूमि के एवज में भूमिधरों का मुअवजा दिया जाता है तथा आपसी समझौते के आधार भूमि अधिग्रहण की जाती है। सौंग बांध पेयजल परियोजना के निर्माण हेतु **10.6410 है0 (2.0610 है0 तहसील डोईवाला जनपद देहरादून में तथा 8.5800 है तहसील धनोल्टी जनपद टिहरी गढवाल में प्रभावित हो रही है)** नाप भूमि की आवश्यकता है, जिसका अर्जन किया जाना है। ग्राम सभा द्वारा निर्माण हेतु नाप भूमि देने के लिये सहमत है। अतः परियोजना के निर्माण में प्रभावित होने वाली नाप भूमि **10.6410** है0 को सौंग बांध परियोजना हेतु पुर्नवास एवं पुर्नअवस्थापना नीति के अन्तर्गत जिस पर भी गांव वालों से सहमति बनेगी के अनुसार प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। अगर किसी भूमिधर के साथ अपसी सहमति नही बन पाती है तो धारा 4 एंव 6 कार्यवाही कर भूमि अधिग्रहित की जाती है, यह एक सामान्यतः प्रक्रिया है। (निर्ति संलग्न)

अवर अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश	(कुलदीप सिंह रावत) उपराजस्व अधिकारी अवस्थापना (पुनर्वास) खण्ड ऋषिकेश	सहायक अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश	अधिशासी अभियन्ता अवस्थापना पुर्नवास खण्ड ऋषिकेश

345

(आपसी समझौते से भू–अर्जन हेतु)

सौंग बांध परियोजना हेतु पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में उल्लेखित प्राविधानानुसार)

(1) पृष्ठभूमि

1.1 सौंग बांध परियोजना के अन्तर्गत सौंग नदी पर 148.50 मी0 ऊँचाई का बांध निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। इस बांध के जलाशय की लम्बाई लगभग 4.3 कि0मी0 है तथा डूब क्षेत्र लगभग 1.40 वर्ग कि0मी0 है।

1.2 बांध निर्माण के डूब क्षेत्र से 03 ग्राम क्रमशः लड़वाकोट (दे0दून), रांगड़गॉव (टि0ग0) एवं घुडसालगॉव (टि0ग0) प्रभावित होंगे तथा बांध के क्वेरी क्षेत्र, बैचिंग प्लांट एवं मिक्सिंग प्लांट के लिये ली जाने वाली भूमि से 01ग्राम सौंधना (टि0ग0) प्रभावित होंगा। इस प्रकार परियोजना के निर्माण से कुल 04 ग्राम प्रभावित होंगे।

1.3 बांध के जलाशय से देहरादून शहर को पेयजल सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे वर्ष 2053 तक लगभग 19 लाख जनसंख्या लाभान्वित होगी।

1.4 यह पुनर्वास नीति, प्रभावित ग्राम की जनसंख्या को विस्थापित किये जाने हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) के प्राविधानानुसार बनायी गयी है।

2. <u>पुर्नवास नीति के उद्देश्य</u>–

2.1 सौंग बांध परियोजना के प्रभावितों के पुर्नवास नीति के उद्देश्य निम्नानुसार हैः–

(क) जहाँ तक सम्भव हो, न्यूनतम विस्थापन करने, विस्थापन न करने अथवा कम से कम विस्थापन करने के विकल्पों को बढ़ावा देना।

(ख) प्रभावित व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी के साथ पर्याप्त पुर्नवास पैकेज सुनिश्चित करना तथा पुनर्वास प्रक्रिया का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित करना।

(ग) समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा करने तथा उनके उपचार के सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक तथा संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(घ) प्रभावित परिवारों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने हेतु संयुक्त प्रयास करना।

(ड) पुर्नवास कार्यों को विकास आयोजनों तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना।

(च) जहां पर विस्थापन, भूमि अर्जन के कारण होता है, वहां पर अर्जनकारी निकाय तथा प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग के जरिए सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करना।

3. **परिभाषाऐं–**

(क) **"प्रशासक"**राज्य सरकार द्वारा उस परियोजना के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट या अपर जिलाधिकारी से अन्यून किसी अधिकारी को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करेंगे।

(ख) **"प्रभावित क्षेत्र"**से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जो समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया जाए;

(ग) **"प्रभावित कुटुम्ब"** के अन्तर्गत,–

(i) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जिसकी भूमि या अन्य स्थावर सम्पत्ति का अर्जन किया गया है;

(ii) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जिसके स्वामित्वाधीन कोई भूमि नहीं है किन्तु ऐसे कुटुम्ब का कोई सदस्य या के सदस्य ऐसे कृषि श्रमिक, अभिधारी, जिसके फलोपभोग अधिकार की किसी भी रूप में अभिधुति या धृति भी है, बटाईदार या कारीगर अथवा वह या वे हो सकते हैं जो प्रभावित क्षेत्र में भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक कार्य कर रहे हों, जिनकी जीविका का मुख्य स्रोत भूमि के अर्जन से प्रभावित हो गया है;

(iii) ऐसी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक वन निवासी हैं, जिन्होंने भूमि के अर्जन के कारण अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन मान्यताप्राप्त अपने किसी भी वन्य अधिकार को खो दिया है;

(iv) ऐसे कुटुम्ब का कोई सदस्य है, जिसे राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनी योजनाओं में से किसी के अधीन भूमि सौंपी गई है और ऐसी भूमि अर्जन के अध्यधीन है।

(v) ऐसा कोई कुटुम्ब है, जो नगरीय क्षेत्रों में भूमि के अर्जन के पूर्व के पूर्ववर्ती तीन या उससे अधिक वर्ष तक किसी भूमि में निवास कर रहा है या जिसकी जीविका का मुख्य स्रोत, भूमि के अर्जन से तीन वर्ष पूर्व तक ऐसी भूमि के अर्जन से प्रभावित हुआ है;

(घ) **"कृषि भूमि"** से निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है,–

(i) कृषि या उद्यान कृषि;

(ii) दुग्ध उद्योग, कुक्कुट पालन उद्योग, मत्स्य–पालन, रेशम उत्पादन, बीज की खेती, पशुधन का प्रजनन या नर्सरी में उगने वाली औषधीय जड़ी–बूटियों।

(iii) फसलों, वृक्षों, घास का बढ़ना या उद्यान उत्पाद; और

(iv) पशुओं के चारागाह

के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई गई भूमि अभिप्रेत है।

(ङ) **"समुचित सरकार"** से,–

(i)किसी राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में, राज्य सरकार;

(ii)परन्तु किसी जिले के जिलाधिकारी को, उस क्षेत्र के लिए जो उस क्षेत्र से, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिक नहीं है, उस जिले में किसी लोक प्रयोजन के सम्बन्ध में समुचित सरकार समझा जाएगा;

(च) **"कलक्टर"** से राजस्व जिले का कलक्टर (जिलाधिकारी) अभिप्रेत है, तथा इसके अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से पदाभिहीत कोई अधिकारी भी है;

(छ) **"अर्जन की लागत"** के अन्तर्गत निम्नलिखित आता है–

(i) प्रतिकर की रकम जिसके अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा आदेशित तोषण, कोई वर्धित प्रतिकर तथा उस पर संदेय ब्याज और ऐसे प्राधिकरण या न्यायालय द्वारा प्रभावित कुटुम्बों को संदेय रूप में अवधारित कोई अन्य रकम भी है;

(ii) अर्जन की प्रक्रिया में भूमि तथा खड़ी फसलों को कारित नुकसान के लिए संदत्त किया जाने वाला क्षतिपूर्ति शुल्क;

(iii) विस्थापित तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित कुटुम्बों के व्यवस्थापन के लिए भूमि और भवन के अर्जन की लागत;

(iv) पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्रों में अवसंरचना और सुख–सुविधाओं के विकास की लागत;

(v) 2013 का अधिनियम संख्या 30 के प्रावधानों के अनुसार यथा–अवधारित पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की लागत;

(vi) (क) भूमि जिसके अन्तर्गत परियोजना स्थल की भूमि तथा परियोजना क्षेत्र के बाहर की भूमि, दोनों आती हैं, के अर्जन के लिए प्रशासनिक खर्च, जो प्रतिकर की लागत के ऐसे प्रतिशत से, जैसा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिक न हो;

(ख) भूमि के स्वामियों तथा अन्य प्रभावित कुटुम्बों के, जिनकी भूमि का अर्जन किया गया है या अर्जन किए जाने का प्रस्ताव है अथवा ऐसे अर्जन से प्रभावित अन्य कुटुम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए प्रशासनिक खर्च;

(vii) "सामाजिक प्रभाव निर्धारण अध्ययन" करने का खर्च;

(ज) **"विस्थापित कुटुम्ब"**से ऐसा कोई कुटुम्ब अभिप्रेत है, जिसका भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र में पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना है;

(झ) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में ''कार्य करने के लिए हकदार'' के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति भी समझे जायेंगे, अर्थातः–

(i) किसी ऐसे मामले के प्रति निर्देश से लाभ पाने वालों के रूप में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों के लिए न्यासी, उसी सीमा तक, जिस तक लाभ पाने वालों के रूप में हितबद्ध व्यक्ति उस दशा में कार्य कर सकता था, यदि वह निःशक्तता से ग्रस्त न होता;

(ii) अवयस्कों के संरक्षक और पागलों के लिए सुपुर्ददार या प्रबन्धक, उसी सीमा तक, जिस तक अवयस्क, पागल या अन्य विकृतचित्त व्यक्ति स्वयं उस दशा में कार्य कर सकते थे, यदि वे निःशक्तता से ग्रस्त न होतेः

परन्तु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की पहली अनुसूची के आदेश 32 के प्रावधान, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों में किसी मामले में वादमित्र द्वारा या संरक्षक द्वारा किसी जिलाधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होने वाले हितबद्ध व्यक्तियों की दशा में, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे;

(ञ) **"कुटुम्ब"** के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति, उस पर आश्रित उसकी पत्नी या पति, अवयस्क संतान, अवयस्क भाई और अवयस्क बहनें हैं;

परन्तु विधवाओं और विवाह–विच्छिन्न स्त्रियों और कुटुम्बों द्वारा अधित्याजित स्त्रियों को पृथक कुटुम्ब माना जायेगा;

स्पष्टीकरण– किसी भी लिंग के वयस्क व्यक्ति को, चाहे उसकी पत्नी अथवा पति अथवा संतान या आश्रितों हो या नहीं, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक पृथक कुटुम्ब माना जायेगा;

(ट) **"भू–धृति"** से किसी व्यक्ति द्वारा स्वामी, अधिभोगी या अधिभारी के रूप में या अन्यथा धारित कुल भूमि अभिप्रेत है;

(ठ) **"भूमि"** के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले लाभ और भूबद्ध चीजें या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती है;

(ड) **"भूमिहीन"**से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग अभिप्रेत है, जिसे,–

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी राज्य विधि के अधीन उस रूप में माना जाए या विनिर्दिष्ट किया जाए; या

(ii) उपखण्ड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट न किए जाने वाले किसी भूमिहीन की दशा में, ऐसा भूमिहीन जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय;

(ढ) **"भू–स्वामी"** के अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है,–

(i) जिसका नाम सम्बन्धित प्राधिकारी के अभिलेखों में भूमि या भवन या उसके किसी भाग के स्वामी के रूप में अभिलेखबद्ध है; या

(ii) जिसे अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन पट्टा अधिकार दिये गये है; या

(iii) जो राज्य की किसी विधि के अधीन भूमि पर, जिसके अन्तर्गत समुनेदिशित भूमि भी है, वनाधिकार दिये जाने का हकदार है, या

(iv) जिसे न्यायालय या प्राधिकरण के किसी आदेश द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है।

(ण) **"बाजार मूल्य"** से तात्पर्य राज्य के राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित भूमि मूल्य (सर्किल रेट) से अभिप्रेत है।

(त) **"अधिसूचना"** से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित करना" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(थ) **"पट्टा"** का वही अर्थ होगा जो उसका सुसंगत केन्द्रीय या राज्य अधिनियमों या उनके अधीन बनाए गये नियमों का विनियमों के अधीन दिया गया है;

(द) **"हितबद्ध व्यक्ति"** से अभिप्रेत है–

(i) ऐसे सभी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन भूमि के अर्जन मद्धे दिये जाने वाले प्रतिकर में हित का दावा करते हैं;

(ii) ऐसी अनुसूचित जनजातियां और अन्य पारम्परिक वन निवासी, जिन्होंने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन किन्हीं भी वन्य अधिकारों को खो दिया है;

(iii) भूमि पर प्रभाव डालने वाले किसी सुखाचार में हितबद्ध कोई व्यक्ति;

(iv) सुसंगत राज्य विधियों के अधीन अभिभेत अधिकार रखने वाले व्यक्ति, जिनके अन्तर्गत फसल में बटाईदार, चाहे वे किसी भी नाम से ज्ञात हों, भी हैं; और

(v) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी जीविका के मुख्य स्रोत पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की सम्भावना है;

(ध) **"पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र"** से ऐसा क्षेत्र अभिधृति है जहां प्रभावित कुटुम्बों को, जो भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप विस्थापित हो गए हैं, समुचित सरकार द्वारा पुनर्व्यवस्थापित किया जाता है;

(न) **"छोटा कृषक (लघु कृषक)"** से ऐसा खेतिहर अभिप्रेत है, जो दो एकड़ तक की असिंचित भूमि धारण करता है या एक एकड़ तक की सिंचित भूमि धारण करता है, किन्तु किसी सीमांत कृषक की धृति से अधिक धारण करता है।

4. **<u>सिंचाई विभाग द्वारा भूमि के मूल्य का अवधारण</u>**–

सिंचाई विभाग, भूमि के सर्किल मूल्य का निर्धारण या अवधारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनायेगा, अर्थातः–
उस क्षेत्र में, जहां भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय–विलेखों या विक्रय के करारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(1899 का 2) में विनिर्दिष्ट सर्किल मूल्य, यदि कोई हो।

5. **<u>डूब क्षेत्र का आंकलन</u>**–

प्रभावित डूब क्षेत्र का आंकलन जलाशय के एफ0आर0एल0 995.0 मीटर से 10 मीटर ऊपर तक भूमि एवं भवनों का आवश्यकतानुसार विस्थापन कियाजायेगा, ताकि जलाशय के भर जाने के पश्चात् भू–स्खलन आदि से प्रभावित होने की सम्भावना न्यूनतम रह जाये।

6. प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन लाभ–

6.1 भूमि अधिग्रहण का प्रतिकर–

(i) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकारी अधिनियम, 2013 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिकर के भुगतान के प्रयोजन हेतु किसी भी व्यक्ति से अधिग्रहीत भूमि की लागत का परिकल्पन निर्धारित सर्किल दरों के आधार पर किया जायेगा। अदा किए जाने वाले कुल मुआवजे पर मुआवजे की राशि के 100 प्रतिशत के समतुल्य राशि के अतिरिक्त ''मुआवजे'' का भुगतान किया जाएगा)

भूमि–प्रतिकरकी दर

(अ)भूमि की दर = सर्किल रेट

(ब) ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में कारक,

जिसका बाजार मूल्य में गुणित

किया जाना है = 01 से 02 (शहरी क्षेत्र से परियोजना की ऐसी दूरी के आधार पर 1.0 से 02, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये)

(स)तोषण (सोलेशियम) = क्र0सं0 (अ) के सामने वार्णित भूमि के बाजार मूल्य के शत–प्रतिशत के समतुल्य, जिसको ग्रामीण क्षेत्रों के लिये क्र0सं0 (ब) के सामने विर्निष्ट कारक से गुणित किया जायेगा = सर्किल रेट X (कारक 01 से 02)

कुल अनुग्रह राशि = (अ X ब) + स = सर्किल रेट का दो से चार गुना

(ii) अवयस्क खातेदार होने के दशा में खतौनी के कॉलम 2 तथा 7 से 12 में अवयस्क खाताधारकों की भूमि के मुआवजा की धनराशि अवयस्क खातेदार को एफ०डी० के रूप में दी जायेगी, जिसे वह वयस्क होने पर प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(iii) भूमि प्रतिकर की धनराशि का 10 प्रतिशत भुगतान भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् देय होगा।

6.2 **भूमि के बदले भूमि–**

सिंचाई परियोजना की दशा में, यथा सम्भव और अर्जित भूमि के लिये संदत्त किये जाने वाले प्रतिकर की बजाये, प्रभावित क्षेत्र में की कृषि भूमि का स्वामित्व रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को जिसकी भूमि अर्जित की गई है या जिससे वंचित हो गया है या जो भूमि के अर्जन या हानि के परिणाम स्वरूप सीमांत कृषक या भूमिहीन की प्रास्थिति में आ गया है, प्रभावित कुटुम्ब से सम्बन्धित अधिकारो के अभिलेखों में सम्मिलित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से उस परियोजना के, जिसके लिये भूमि अर्जित की गयी है, प्रभाव क्षेत्र में न्यूनतम 01 एकड़ भूमि आवटित की जायेगी;

परन्तु प्रत्येक ऐसी परियोजना में, उन व्यक्तियों को, जो अपनी भूमि से वंचित हो रहे है और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के है, अर्जित क्षेत्र के समतुल्य या ढाई एकड भूमि, जो भी कम हो, उपलब्ध कराई जायेगी।

6.3 **गृह संरचनाओं (आवास, दुकानो एवं पशुबाड़ा आदि) के लिये प्रतिपूर्ति–**

(i) अर्जन किये जाने वाले गृह संरचनाओं (आवास, दुकानो एवं पशुबाड़ा आदि) हेतु प्रतिपूर्ति की राशि का आंकलन अधिग्रहण के समय लोक निर्माण विभाग की दरों के आधार परनिर्धारित किया जायेगा तथा इस मूल्य पर 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) राशि के रूप में दी जायेगी।

6.4 **पेड़ों के लिये प्रतिपूर्ति–**

पात्र भूस्वामी परिवारों को पेड़ों के लिये प्रतिपूर्ति का भुगतान राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित मार्गदर्शी व सिद्धान्तों और दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य प्राधिकारियों के बागवानी विभाग/वन विभाग द्वारा दिये गये मूल्यांकन के अनुसार किया जायेगा।

6.5 **विस्थापन की दशा में आवासन इकाइयों की व्यवस्था–**

(i) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो इंदिरा आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जायेगा। यदि शहरी क्षेत्रों में किसी मकान से वंचित किया जाता है तो एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जायेगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा।

(ii) ऊपर सूचीबद्ध फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुम्ब को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्र की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, भी विस्तारित किया जाएगा।

परन्तु शहरी क्षेत्रों में ऐसा कोई कुटुंब, जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प चुनता है, मकान निर्माण के लिये एक बार वित्तीय सहायता, जो एक लाख पचास हजार रूपए से कम की नहीं होगी, प्राप्त करेगा,

परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित कुटुंब ऐसा चाहे तो उसे निर्मित मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।

परन्तु यह भी कि अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण–शहरी क्षेत्रों में मकान यदि आवश्यक हो, बहुमंजिले प्रक्षेत्र में उपलब्ध कराया जा सकेगा।

6.6 वार्षिकी या नियोजन का विकल्प

प्रति प्रभावित कुटुम्ब को 05 लाख रूपए का एक बारगी संदाय देय होगा।

6.7 विस्थापित कुटुंबो के लिए 01 वर्ष की अवधि तक जीवन निर्वाह अनुदान–

ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक तीन हजार रूपए प्रतिमास के समतुल्य जीवन निर्वाह भत्ता मासिक तौर पर दिया जायेगा,

इस रकम के अतिरिक्त विस्थापित किये गये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लोग 50 हजार रूपए के समतुल्य रकम प्राप्त करेगें।

6.8 विस्थापित कुटुंबो के लिए परिवहन खर्च :–

ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को जो विस्थापित हुआ है, कुटुम्ब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओ को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिये परिवहन खर्च के रूप में 50 हजार रूपए की एक बारगी वित्तीय सहायता दी जायेगी।

6.9 पशुबाड़ा/छोटी दुकान खर्च–पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाडे या छोटी दुकान के निर्माण के लिये, एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा, जो न्यूनतम 25 हजार रूपए की सीमा के अधीन विनिर्दिष्ट की जायें।

6.10 कारीगरो, छोटे व्यापारियों और कतिपय अन्य को एक बारगी अनुदान–किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्था ढांचा है और जिसे भूमि के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वैच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पायेगा, जो न्यूनतम 25 हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुये विनिर्दिष्ट की जायेगी।

6.11 एक बारगी पुनर्व्यवस्थापन भत्ता–

प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को केवल रू0 50,000/–काएक बारगी 'पुनर्व्यवस्थापन भत्ता' दिया जायेगा।